न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 09/2017

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
सरकार जरिये विजयकांत गौतम खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन जोधपुर	बनाम	1. मंगलाराम प्रजापत पुत्र प्रताप जी (विक्रेता) मैसर्स कैलाश एजेन्सी बालोतरा रोड़, सिवाना जिला बाड़मेर निवासी पादरू का वास, सिवाना जिला बाड़मेर 2. चांदमल (मालिक) मैसर्स कैलाश एजेन्सी बालोतरा रोड़, सिवाना जिला बाड़मेर निवासी पादरू का वास, सिवाना जिला बाड़मेर 3. श्रीमती झीमो पत्नी कोलाराम (होलसेलर) मैसर्स महादेव डिस्ट्रीब्यूटर्स गुप्ता ट्रांसपोर्ट के सामने पचपदरा रोड़ जिला बाड़मेर निवासी बेरा भोजोणियो वाला, पारलु पचपदरा बाड़मेर 4. प्रवीण गहलोत पुत्र जयसिंह (डिस्ट्रीब्यूटर्स) मैसर्स श्री इन्टरप्राईजेज खसरा नंबर 67/10 नो मील नागौर रोड़ जोधपुर निवासी पालड़ी खिचियान जोधपुर श्री इन्टरप्राईजेज खसरा नंबर 153/1 मण्डलनाथ रोड़ पालड़ी खिचियान

अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थितः—1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम प्रार्थी की ओर से।
2. श्री सम्पतराज बोथरा एडवोकेट अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय दिनांक 22.5.2018

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 06.05.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोन जोधपुर द्वारा दौराने गश्त दोपहर 2.30 बजे मैसर्स कैलाश एजेन्सी बालोतरा रोड़ सिवाना

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिरट्रेट बाड़मेर

पहुंचने पर दुकान पर विक्रेता की हैसियत से एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला, जिसका नाम व पता पूछने पर अपना नाम मंगलाराम प्रजापत पुत्र प्रजापजी निवासी पादरू का वास बताया। दुकान का निरीक्षण करने पर दुकान में आम जनता को बिक्री हेतु खाद्य पदार्थ घी, तेल, पर्चन एवं ज्यूस आदि पाये गये। दुकान में एक लीटर टेट्रा पैक ऑरेंज ज्यूस पतंजली ब्रांड के 24 पैके रखे हुए थे। ऑरेंज ज्यूस पतंजली ब्रांड में मिलावट का संदेह होने पर रूबरू गवाह के समक्ष मालिक विक्रेता कोरूपये 340/– नगद अदा कर 04 पैक सीलबन्द खरीदे एवं रूपयो की रसीद/केश मीमो प्राप्त की। विक्रेता व गवाह के सामने 4 लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एडी.365 खाद्य पदार्थ का विवरण एंव नमूना लेने का स्थान एंव दिनांक अंकित की गई। चार टीन पैक उन पर लेबल चिपकाये। जिस पर प्रार्थी व गवाहो व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर कराये गये। प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में लपेट कर इस पर पेपर स्लीप कोड एंव सिरियल नम्बर एडी.365 चिपकाकर मजबूत व मोटे धागे से बांधकर चिपडी लगाकर नियमानुसार सील बंद किया। प्रत्येक नमूने पर विवरण अंकित कर प्रार्थी व गवाहो के पेपर स्लीप को क्रॉस करते हुए हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 5 ए भरकर गवाहो के हस्ताक्षर कराये जिसकी प्रति मालिक विक्रेता को दी गई। मौके पर ही गवाहो की उपस्थिति में मौकाफर्द तैयार की गयी। समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के बाद कार्यालय आकर नमूना एडी.365 जॉच हेतु खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। फार्म नम्बर 06 की प्रतियां तैयार की गयी। नमूना सील जिसका प्रयोग सेम्पल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनो को सीलबन्द करने में किया गया एंव आउटर कवर कर नमूना विवरण अंकित किया गया एंव एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाद्य सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनो के शेष दूसरा, तीसरा व चौथा मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एंव उप निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन–जोधपुर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया गया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि पेय पदार्थ ऑरेंज ज्यूस पतंजली ब्रांड का नमूना जांच रिपोर्ट फूड एनालिस्ट जोधपुर से

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

एलएस/480/एक्ट/2016/521 दिनांक 17.5.2016 को अभिहित अधिकारी एंव उप निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन–जोधपुर को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार नमूना जॉच में पेय पदार्थ ऑरेंज ज्यूस पतंजली ब्रांड का नमूना एडी–365 Sub-standard due to addition of Natural colour Beta-Carotene पाया गया। उक्त प्रकरण में पेय पदार्थ ऑरेंज ज्यूस पतंजली ब्रांड का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करना पाये जाने के आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जोन जोधपुर ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एंव संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति,फार्म नम्बर 5 ए,नमूना खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना एडी.365 जॉच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किया। विप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। विप्रार्थी संख्या 04 द्वारा दिनांक 22.5.2018 को उपस्थित होकर जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से करवाना चाहते है, विप्रार्थीगण 01 से 03 का भी यही जवाब एवं मंशा है। विप्रार्थी संख्या 04 डिस्ट्रीब्यूटर है। सभी विप्रार्थीगण प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से करवाना चाहते है। विप्रार्थीगण के विरूद्व नरमाई का रूख अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से करवाया जायें।

3. पत्रावली न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लोक अदालत कोर्ट केम्प न्यायालय हाजा में में पेश हुई, जिसके लिऐ पक्षकारान को नोटिस की तामीली करा दी गई थी। प्रार्थी की ओर से सहायक लोक अभिभाषक प्रथम उपस्थित एवं विप्रार्थीगण के वकील उपस्थित।

4. विप्रार्थीगण के वकील द्वारा प्रकरण का निपटारा लोक अदालत की भावना के अनुरूप करने हेतु निवेदन किया। सहायक लोक अभियोजक प्रथम का कथन हैं कि परिवाद में वर्णित तथ्यों एंव इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विशलेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/480/एक्ट/2016/521 दिनांक 17.5.2016 के अनुसार विप्रार्थीगण द्वारा बेचा जा रहा ऑरेंज ज्यूस पतंजली ब्रांड का नमूना एडी–365 Sub-standard due to

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

addition of Natural colour Beta-Carotene पाया गया जिसके लिये विप्रार्थीगण दोषी प्रतीत होते है। विप्रार्थीगण पर खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एंव अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 अनुसार जुर्माना आरोपित किया जाकर, उसे दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विप्रार्थीगण मंगलाराम प्रजापत वगैरा द्वारा ऑरेंज ज्यूस पतंजली ब्रांड का विक्रय करके खाध सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)उल्लंघन किया है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में Sub-standard पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। अतः खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एंव अपराध कारित होने के फलस्वरूप लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत मंगलाराम प्रजापत वगैरा (प्रत्येक पर) पर रूपये 3000/– अक्षरे रूपये तीन–तीन हजार मात्र शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक आदि के माध्यम से निर्णय तारीख 22.5.2018 से एक माह के अंदर–अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अति. जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 22.5.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अति.जिला मजिस्ट्रेट,बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर